फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शंभुलाल वनाम देवी गुर्जर (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 179 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील म जारी हुए
6.12.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10.1.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
10.1.23	पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी 1 व 3 लगायत 13 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी, ~~[illegible]~~ वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 179/22 प्रा. पत्र

1– श्री शंभू लाल s/o देवी गुर्जर निवासी- गुन्दली तहसील- भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री देवी s/o श्री छोगा गुर्जर निवासी- कैरा तहसील- माण्डल (कैरा)
(सूची संलग्न)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 10.01.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........कैरा.........पटवार हल्का.........गेगारा.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 334, 335, 346, 347 कुल किता.........04.........रकबा.........1.1888 हेक्टयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाधिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........कैरा.........पटवार हल्का.........गेगारा.........तहसील माण्डल में उसके ख़ाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 334, 335, 346, 347 कुल किता.........04.........रकबा.........1.1888.........हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.........लुहारिया.........को.........500/-.........रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा